

1

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

“ बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) जिलान्तर्गत अंचल-सुगौली में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate- 2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5983.43 लाख (उनसठ करोड़ तिरासी लाख तैंतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।


(इब्रार अहमद खान)
सरकार के संयुक्त सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

2

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेस नोट

“बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजनान्तर्गत सिवान जिलान्तर्गत जिरादेई, अंचल अन्तर्गत मौजा-भौसाखाल में 560 (पाँच सौ साठ) आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर (CPWD के Plinth Area Rate- 2023) पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की राशि ₹5849.18 लाख (अठारह करोड़ उन्चास लाख अठारह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। योजना के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का लक्ष्य है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ कराना है ताकि उच्च शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रक्षेत्रों यथा मेडिकल/इंजीनियरिंग आदि में अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके।


(इबरार अहमद खाँ)
सरकार के संयुक्त सचिव
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

राज्य के कुल 246 (दो सौ छियालिस) जर्जर अथवा गैर मरम्मत योग्य कार्यालय भवन के कारण नये प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 16,62,10,000/- (सोलह करोड़ बासठ लाख दस हजार) रुपये एवं 62 (बासठ) भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय- सह-आवासीय परिसर के निर्माण हेतु तकनीकी अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड राशि 30,74,17,000/- (तीस करोड़ चौहत्तर लाख सत्रह हजार) रुपये की दर से कुल राशि 59,94,75,14,000/- (उनसठ अरब चौरानबे करोड़ पचहत्तर लाख चौदह हजार) रुपये की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई । इससे प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण से प्रखंड का संरचनात्मक ढांचा के सुदृढीकरण के साथ-साथ अन्य विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी आयेगी ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

21/12/2024

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

4

प्रेस नोट

राज्य के 422 प्रखण्ड जहाँ 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन रद्दीकरण योग्य हैं, उन प्रखण्डों के लिए जेम पोर्टल के माध्यम से वाहन क्रय किये जाने हेतु $422 \times 14,00,000 = 59,08,00,000/-$ (उनसठ करोड़ आठ लाख) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। इससे संबंधित प्रखण्डों में वाहन क्रय कर नया वाहन उपलब्ध कराने से विकासात्मक कार्यों के सफल कार्यान्वयन, कार्यान्वित योजनाओं की जाँच, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्य में सुविधा होगी। साथ ही साथ प्रखण्ड प्रशासन भी सुदृढ़ होगा।

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना
31/12/2024

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेस नोट

राज्य सरकार द्वारा प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण से प्रखंड का संरचनात्मक ढांचा के सुदृढीकरण के साथ-साथ अन्य विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी लाने के दृष्टिकोण से नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह- आवासीय भवन, निरीक्षण कमरा एवं परिसर विकास कार्य के निमित्त द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन की स्वीकृति प्रदान किया गया है।

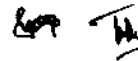
(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना

19/12/2024

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ प्रेस नोट ॥

विषय:- नमामि गंगे योजना (100 प्रतिशत सेंट्रल सेक्टर सपोर्ट) के अन्तर्गत नगर निगम, कटिहार में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईमर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु अनुमानित लागत राशि रु० 3,56,99,32,000/- (तीन सौ छप्पन करोड़ निन्यानवे लाख बत्तीस हजार रुपये मात्र) (100 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा देय) पर सहमति एवं राज्य सरकार द्वारा देय सेंटेज की राशि रु० 7,35,10,170/- (सात करोड़ पैंतीस लाख दस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) अर्थात् कुल रु० 3,64,34,42,170/- रुपये (तीन सौ चौंसठ करोड़ चौंतीस लाख बयालिस हजार एक सौ सत्तर रुपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।

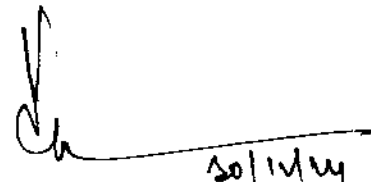

 (अभय कुमार सिंह),
 सरकार के सचिव,
 नगर विकास एवं आवास
 विभाग।



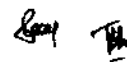
7

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
॥ प्रेस नोट ॥

विषय:- रक्सौल नगर परिषद में इन्टरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन एवं सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण नमामि गंगे के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 66,12,46,950.00 रु० (छियासठ करोड़ बारह लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रुपये मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि रु० 63,17,00,000/- (तिरेसठ करोड़ सत्रह लाख रुपये मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से देय सेंटेंज की राशि कुल रु० 2,95,46,950/- रुपये (दो करोड़ पंचानबे लाख छियालिस हजार नौ सौ पचास रु० मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई।



(अमय कुमार सिंह),
सरकार के सचिव,
नगर विकास एवं आवास
विभाग।



बिहार सरकार
पर्यटन विभाग

प्रेस नोट

8

बिहार में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत वाल्मीकिनगर एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। यहाँ अधिक संख्या में पर्यटकों का आगमन होता है तथा निरंतर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आने वाले पर्यटकों को मनोरंजन के साधन एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वाल्मीकिनगर क्षेत्र के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा कई कार्य किए गए हैं। इसी क्रम में उक्त योजना प्रस्तावित है जिससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी एवं आस-पास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं उद्यम की संभावनाएं भी सृजित होगी।

मंत्रिपरिषद् द्वारा राज्य स्कीम के अन्तर्गत पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत लव-कुश इको टूरिज्म पार्क, वाल्मीकिनगर के विकास हेतु राशि- 51,54,07,900 /—(एकान्न करोड़ चौवन लाख सात हजार नौ सौ) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

सरकार के सचिव,
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना।

19/12/2024

प्रेस विज्ञप्ति

सड़क दुर्घटना में कमी लाने हेतु, यातायात उल्लंघनकर्ताओं के रोकथाम तथा सुगम परिवहन को बढ़ावा देने हेतु सड़क सुरक्षा दृष्टिकोण से जिलों में CCTV/ANPR कैमरों का अधिष्ठापन किया जाना है।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य में 26 जिलों के 72 प्रमुख चौक चौराहों पर विशिष्ट प्रकार के तकनीकी गुणवत्ता एवं नम्बर प्लेट को पढ़नेवाले कैमरों का अधिष्ठापन किया जाना है, जिसका उद्देश्य पूर्णतः नियमों का अनुपालन एवं यातायात उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध ऑटोमेटेड चालान निर्गमण का क्रियान्वयन होना है। इससे आमजनों को मोटरवाहन अधिनियम का अनुपालन करने हेतु सजग होंगे जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी लायी जा सकेगी।

ke₃o12
(संजय कुमार अग्रवाल),
सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

कैमूर जिलान्तर्गत अंचल-भगवानपुर के पौरा पहाड़ी पर अवस्थित माँ मुण्डेश्वरी धाम में बन रहे आकाशीय रज्जु पथ निर्माण के क्रम में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को अपयोजित की जाने वाली भूमि अंचल-भगवानपुर के मौजा-टोड़ी, थाना नं०-366, खाता सं०-643 चक/462 (सर्वे), खेसरा सं०-590 चक/473 (सर्वे) कुल-6.46 एकड़ अनावाद बिहार सरकार किस्म-जंगल झाड़ी भूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क अन्तर्विभागीय हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

(11)

सारण जिलान्तर्गत अंचल-अमनौर के मौजा-अरना, थाना सं०-269 खाता सं०-02, खेसरा सं०-02 का कुल रकबा-30.00 एकड़ किस्म-भीठ समाहर्ता, सारण द्वारा लोक प्रयोजन के निमित्त अर्जित बिहार सरकार की भूमि में 400/220/132 के०वी०जी० आई०एस० ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु सलामी एवं पूँजीकृत मूल्य सहित कुल राशि मो०- 6,00,75,000/- (छः करोड़ पचहत्तर हजार) रू० के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को सशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह),

पदनाम :-अपर मुख्य सचिव।

दीपक कुमार सिंह
31/12/2024

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-सघनपुरा, थाना सं०-15 एवं मौजा-पहाड़पुर, थाना नं०-14, क्रमशः रकबा-12.00 एकड़ एवं 4.50 एकड़ बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के स्वामित्व की कुल प्रस्तावित रकबा-16.50 एकड़ भूमि पर Isolation Bay एवं DVOR के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह),

पदनाम :-अपर मुख्य सचिव।

[Signature]
15/12/2014

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

प्रेस नोट

'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित गैर गुणवत्ता प्रभावित वाले 58003 वार्डों में छूटे हुए 16124 टोलों में जलापूर्ति योजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु रु० 361133.23400 लाख (तीन हजार छः सौ ग्यारह करोड़ तैतीस लाख तेइस हजार चार सौ) राशि की मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) के विस्तारीकरण की स्वीकृति प्रस्तावित है जिसके उपरान्त छूटे हुए टोलों में गृह जल संयोजन से अनाच्छादित परिवारों को गृह जल संयोजन से आच्छादित किया जायेगा।

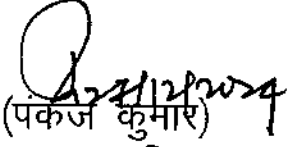

(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

(14)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
प्रेस नोट

संचिका संख्या:-3/विविध-10101/2013

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर/इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2014 में आंशिक संशोधित कर बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर पम्प ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2024 की स्वीकृति के संबंध में।


(पंकज कुमार)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग

15

प्रेस नोट

बिहार आई०टी० (इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी) पॉलिसी-2024 के अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को प्रदान किये जाने वाले प्रोत्साहनों (इनसेंटिव्स) में एसजीएसटी प्रतिपूर्ति को सम्मिलित करने के संबंध में।

राज्य में समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एवं मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने तथा लाभकारी रोजगार सृजन के उद्देश्य से विभागीय संकल्प सं०-78 दिनांक 09.01.2024 के द्वारा बिहार आई०टी० पॉलिसी 2024 निर्गत किया गया है।

- बिहार आई०टी० पॉलिसी - 2024 के अंतर्गत पूर्व से ही निवेशकों को पूँजीगत निवेश व रोजगार सृजन करने पर कई लाभ दिये जा रहे हैं।
- उक्त के अतिरिक्त राज्य में स्थापित आई०टी०/आई०टी०ई०एस०/ई०एस०डी०एम० इकाई को पॉलिसी के लागू होने की तारीख से पाँच साल तक एस०जी०एस०टी० की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

यह निवेशकों को और अधिक वित्तीय सुविधा देने के साथ निवेशानुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा, जिससे निवेशक इकाईयाँ भी राज्य में अधिकाधिक निवेश करने हेतु प्रेरित होंगी।



(अमय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

प्रेस नोट

राज्य के सभी सरकारी एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना एवं शिक्षु प्रशिक्षण योजनाओं की नीतियों, कार्याविधियों, नियमों, मानकों आदि के क्रियान्वयन एवं निरंतर समीक्षा निदेशालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर करते हुए राज्य के युवाओं का कौशल उन्नयन कर रोजगारपरक बनाने तथा रोजगार/स्वरोजगार के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत नियंत्रणाधीन बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा संवर्ग के पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त नये पद सृजित एवं उत्क्रमित करने की स्वीकृति दी जाती है।


18.12.24

(दीपक आनन्द)

सचिव

श्रम संसाधन विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

संचिका संख्या-15/पी 5-33/2024

प्रेस नोट

राज्य योजनान्तर्गत पटना विधि महाविद्यालय, पटना में नये छात्रावास के निर्माण एवं पुराने छात्रावास के जीर्णोद्धार कार्य हेतु कुल रु0 34,09,77,000/- (चौतीस करोड़ नौ लाख सतहत्तर हजार रुपये) मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

(बैद्यनाथ यादव)
सचिव

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

18

संचिका संख्या - 15/एम 1-06/2017

प्रेस नोट

बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत, दीघा घाट, पटना में निजी क्षेत्र में जेवियर विश्वविद्यालय, दीघा घाट की स्थापना एवं संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

(बैद्यनाथ यादव)

सचिव

बिहार सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग
(वायुयान संगठन निदेशालय)

प्रेस नोट

रक्सौल हवाई अड्डा के विकास हेतु अतिरिक्त 139 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य स्कीम से अनुमानित मुआवजा राशि ₹2,07,70,46,000/- (दो सौ सात करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

रक्सौल हवाई अड्डा के विकास हेतु अतिरिक्त 139 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु राज्य स्कीम से अनुमानित मुआवजा राशि ₹2,07,70,46,000/- (दो सौ सात करोड़ सत्तर लाख छियालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति दी गयी है।

रक्सौल हवाई अड्डा का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। इसके विकास होने से वहाँ के निवासियों को हवाई आवागमन एवं आर्थिक विकास में मदद मिलेगा।

20/12/2024
(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

21

प्रेस नोट

बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर को वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य स्कीम अंतर्गत स्थापना एवं विकास संबंधी कार्यों के लिए 4734.6387 लाख (सैतालीस करोड़ चौतीस लाख तिरेसठ हजार आठ सौ सत्तर) रुपये सहायक अनुदान हेतु निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

राज्य में कृषि शिक्षा एवं शोध के विकास के लिए कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि महाविद्यालय/अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गयी है। कृषि विश्वविद्यालय तथा कृषि महाविद्यालय/अनुसंधान संस्थान की स्थापना मद में भुगतान के फलस्वरूप राज्य में प्रशिक्षित मानव बल तैयार होगा तथा किसान एवं कृषि का विकास होगा।

ham

(संजय कुमार अग्रवाल)
सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

॥ प्रेस नोट ॥

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, के क्रियाकलापों में गतिशीलता लाने, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन, वित्तीय अनुशासन, जी0एस0टी0, आयकर अधिनियम तथा निगम के कार्यों का सुगम संचालन के लिए विभिन्न कोटि के कुल 38 (अड़तीस) पदों का सृजन किया गया है।

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना।

24

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

संचिका संख्या- ग्रा.वि.-10/बजट-05/2024 (खंड)

प्रेस नोट

'सक्षम बिहार - स्वावलंबी बिहार' के अंतर्गत सात निश्चय-2 के तहत 'स्वच्छ गाँव - समृद्ध गाँव' के संकल्पित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को 'सम्पूर्ण स्वच्छ' बनाने के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)/लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत पांच हजार छः सौ पैंतीस (5635) ग्राम पंचायतों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के सफलतापूर्वक परिचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत 9000.00 लाख (नब्बे करोड़) रुपये की राशि की बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गयी है ।

(लोकेश कुमार सिंह)
सरकार के सचिव

०८/०५/२०२५

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेस नोट

गया जिलान्तर्गत खिजरसराय अंचल के मौजा-डेगॉव, थाना सं०-78, खाता सं०-314 के विभिन्न खेसराओं में अनावार बिहार सरकार की कुल प्रस्तावित रकबा-20.00 एकड़ भूमि टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हेतु उद्योग विभाग, बिहार, पटना को निःशुल्क स्थायी हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह),

पदनाम :- अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

26

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-धीराचक, थाना नं०-16 में स्थित प्रस्तावित कुल रकबा-1.46 एकड़ बिहार सरकार की भूमि किस्म-भीठ क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (विदेश भवन) के निर्माण हेतु विदेश मंत्रालय, भारत सरकार को स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह),

पदनाम :-अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(27)

प्रेस नोट

पटना जिलान्तर्गत पटना सदर अंचल के मौजा-सधनपुरा, थाना सं०-15 में रकबा-4.63 एकड़, मौजा-आमुकुड़ा, थाना सं०-13 में रकबा-16.21 एकड़ एवं मौजा-समनपुरा, थाना सं०-12 में रकबा-0.16 एकड़ सहित कुल प्रस्तावित रकबा-21.00 एकड़ भूमि, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR), भारत सरकार को पूर्व में लीज द्वारा हस्तान्तरित भूमि है, पर पटना एयरपोर्ट में समानांतर टैक्सी ट्रैक के निर्माण हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारत सरकार को स्थायी निःशुल्क हस्तान्तरण की स्वीकृति।

हस्ताक्षर :-

नाम :- (दीपक कुमार सिंह)

पदनाम :-अपर मुख्य सचिव।

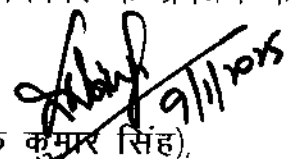
(2)

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
प्रेस नोट

सीवान जिलान्तर्गत मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला लगभग 10 एकड़ क्षेत्रफल की भूमि में महाराजगंज अंचल के मौजा-सिहौता में आयोजित होता है। यह मेला सन् 1923 से लगातार आयोजित होता आ रहा है। इस मेले में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की अनुमानित संख्या लगभग 80-90 हजार है। यह महावीरी झंडा मेला प्रत्येक वर्ष दो दिन भाद्रपद मास के कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में एवं अमावस्या के दिन में लगता है। इसके बाद यह मेला लगभग एक माह तक लगातार चलता है। मौनिया बाबा नाम का प्रचलन एक स्थानीय संत के नाम पर है, जो तत्कालीन समय में यहाँ निवास करते थे तथा इस स्थल पर उनकी समाधि है, जिसकी आज भी श्रद्धालुओं द्वारा पूजा की जाती है। इस मेले में महाराजगंज एवं दरौदा प्रखण्ड के विभिन्न गाँवों से हजारों की संख्या में लोग महावीरी जूलुस एवं अखाड़ा के साथ अपार श्रद्धा एवं आस्था से मौनिया बाबा के दर्शन के लिए पहुँचते हैं।

मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला स्थानीय स्तर पर समाजिक-सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। मेले में स्थानीय लोगों के साथ ही अन्य जगहों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेने आते हैं। इस प्रकार वर्तमान में यह मेला उत्तर बिहार का प्रसिद्ध मेला बन चुका है। लोगों की यह मान्यता है कि महान संत शिरोमणी समाधि स्थल पर माँगी गई मन्नतें पूर्ण होती हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इस मेला की महत्ता काफी अधिक है। मेला में स्थानीय स्तर पर तैयार खेल-कूद का सामान, बच्चों एवं महिलाओं का सामान, लकड़ी से बने फर्नीचर, आदि की बड़ी संख्या में बिक्री होती है, जिसके कारण यह मेला आर्थिक-व्यापारिक गतिविधि के साथ ही पर्यटन का भी एक महत्वपूर्ण स्थल एवं क्षेत्र के रूप में स्थापित है। प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के द्वारा दिनांक-07.01.2025 को की गई घोषणा के आलोक में प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए समाहर्ता, सीवान द्वारा उपलब्ध कराये गये सूचना के आलोक में सीवान जिलान्तर्गत "मौनिया बाबा महावीरी झंडा मेला" की पौराणिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय महत्ता की पृष्ठभूमि में इस मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के प्रबंधन के अन्तर्गत लिया जाता है।


(दीपक कुमार सिंह),
अपर मुख्य सचिव।

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति
सूचना

माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा पश्चिम चम्पारण जिला में प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में गन्ना कृषकों को राहत देने एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु पेराई सत्र 2024-25 से निर्धारित ईख मूल्य में 10 रु० प्रति क्विंटल की दर से बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है, जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। इस लाभ से राज्य के गन्ना कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी एवं गन्ना की खेती को बढ़ावा मिलेगा। किसानों द्वारा अधिक से अधिक भूमि में गन्ना की खेती किया जायेगा। इसके फलस्वरूप चीनी मिलों एवं गुड़ इकाइयों को पर्याप्त गन्ना प्राप्त होगा तथा गन्ना किसानों की आमदनी में वृद्धि होगी।


(बी० कार्तिकेय धनजी)
सचिव,
गन्ना उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

(30) 47/50

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से 720 आसन वाले 3 (तीन) प्रखण्डों में डॉ० भीम राव अम्बेडकर 10+2 आवासीय विद्यालय, प्रखण्ड—सह—अंचल— मोतीपुर एवं सकरा (मुजफ्फरपुर) तथा बांकेबाजार (गया) में निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन के अनुसार प्रति आवासीय विद्यालय ₹46,07,97,000 /—(छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू०) मात्र की दर पर कुल (₹46,07,97,000 X 3)= ₹138,23,91,000/- (एक सौ अड़तीस करोड़ तेईस लाख एकानवे हजार रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या—1165 दिनांक—28.03.22 द्वारा वित्तीय वर्ष—2022—23 से वर्ष 2025—26 तक की अवधि में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखण्डों, जहाँ डॉ० भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति शेष है, में डॉ० भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय (720 आसन) की स्थापना एवं निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 (दस) आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं स्थापना का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित है एवं 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।


(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

31

47/50

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय, भर्षा प्रखण्ड-सह-अंचल बेगूसराय, जिला-बेगूसराय में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानबे हजार रु0) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2206 दिनांक-28.08.2017 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक उत्क्रमित करते हुए प्रत्येक विद्यालय में छात्रबल 720 करने की स्वीकृति दी गई है, जिसके आलोक में सभी आवासीय विद्यालयों की आधारभूत संरचना का विकास एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत क्रमिक रूप से किया जा रहा है। आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास होने के पश्चात् 10+2 स्तर तक की पठन-पाठन प्रारंभ किया जाएगा।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित है एवं 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

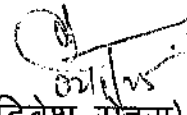
बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-1164 दिनांक-28.03.2022 द्वारा स्वीकृत छात्रावासों में से 38 का प्रत्यार्पण करते हुए राज्य स्कीम मद से संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार 38 (अड़तीस) जिला मुख्यालयों में "मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास योजना" अन्तर्गत सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 आसन) के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 101 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 17 छात्रावास संचालित हैं जिसमें से बालिकाओं हेतु अनुसूचित जाति के 06 एवं अनुसूचित जनजाति के 02 छात्रावास संचालित हैं।

विभागीय संकल्प सं०-1164 दिनांक-28.03.2022 द्वारा स्वीकृत छात्रावासों में से वैसे प्रखण्डों, जहाँ महाविद्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित नहीं है, में निर्माण हेतु शेष बचे स्वीकृत छात्रावासों में से 38 (अड़तीस) छात्रावासों का प्रत्यार्पण करते हुए सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास (100 आसन) का निर्माण की स्वीकृत दी गई है।


(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव।

(33)

47/50

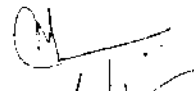
बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से डॉ० भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड-सह-अंचल पारू, जिला-मुजफ्फरपुर में विद्यालय भवनों (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानबे हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभागीय संकल्प संख्या-1165 दिनांक-28.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष-2022-23 से वर्ष 2025-26 तक की अवधि में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की 50000 से अधिक आबादी वाले प्रखंडों, जहाँ डॉ० भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय का निर्माण की स्वीकृति शेष है, में डॉ० भीम राव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय (720 आसन) की स्थापना एवं निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 10 (दस) आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं स्थापना का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जाएगा।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित हैं एवं 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।


(दिवेश सेहरा)
सरकार के सचिव



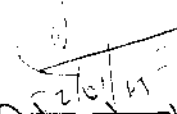
बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

प्रेस नोट

राज्य स्कीम मद से राजकीय अम्बेडकर आवासीय उच्च विद्यालय, मुरौल का प्रखण्ड-सह-अंचल बंदरा, जिला-मुजफ्फरपुर के विद्यालय भवनों (720 आसन) के निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/- (छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानबे हजार रु०) मात्र पर कराने की प्रशासनिक स्वीकृति।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2206 दिनांक-28.08.2017 द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक उत्क्रमित करते हुए प्रत्येक विद्यालय में छात्रबल 720 करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके आलोक में सभी आवासीय विद्यालयों की आधारभूत संरचना का विकास एकीकृत उपागम (Integrated Approach) के तहत क्रमिक रूप से किया जा रहा है। आवासीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना का विकास होने के पश्चात् 10+2 स्तर तक की पठन-पाठन प्रारंभ किया जाएगा।

उपरोक्त स्वीकृति के अतिरिक्त वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के लिए 66 एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 25 आवासीय विद्यालय संचालित है एवं 26 नवस्वीकृत आवासीय विद्यालयों सहित सभी आवासीय विद्यालयों को 10+2 स्तर तक के भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।


 (दिवेश सेहरा)
 सरकार के सचिव।

35

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेस नोट

60 सेट ऑफिसर्स आवास एवं हॉस्टल परिसर, नेहरू पथ, पटना का पुनर्विकास कार्य हेतु ₹246,23,60,000.00 (दो सौ छियालीस करोड़ तेईस लाख साठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी है।


(कुमार रवि)
सचिव,

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

36

**बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग**

प्रेस नोट

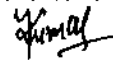
श्री संतोष कुमार, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग के दिनांक-31.12.2024 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना (मुख्य अभियंता स्तर) के पद पर योगदान की तिथि से अगले 02 (दो) वर्ष तक के लिए अथवा मुख्य महाप्रबंधक (मुख्य अभियंता स्तर) के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए संविदा के आधार पर नियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

श्री संतोष कुमार का मुख्य महाप्रबंधक(मुख्य अभियंता स्तर), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के पद पर संविदा पर नियोजन के फलस्वरूप बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं मेगा परियोजनाओं का सफल क्रियान्वयन एवं सम्यक तथा उससे संबंधित विविध कार्यों का समयबद्ध निष्पादन किया जा सकेगा।



(कुमार रवि)

सरकार के सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



५१
बिहार सरकार
विधि विभाग

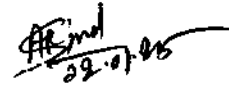
(3)

मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु संलेख के निमित्त आत्मभरित टिप्पणी सहित प्रेस नोट।

भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना से भोजपुर (आरा) न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, पीरो में 10 कोर्ट भवन (G+5), हाजत भवन (G+1) एवं एमिनिटी भवन (G+4) के निर्माण कार्य हेतु रु0-34,06,24,000/- (चौतीस करोड़ छः लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र का प्राक्कलन प्राप्त हुआ है, जिसमें लोक वित्त समिति द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई है।

यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के निर्माण कार्य पर व्यय, योजना के राशि का 60% केन्द्रांश एवं 40% राज्यांश संबंधित बजट शीर्ष में उपबंधित राशि से होगा। इस योजना से आधारभूत संरचना सुविधा के अन्तर्गत न्यायिक पदाधिकारियों हेतु पर्याप्त संख्या में कोर्ट रूम एवं अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध होगी।

अतः भोजपुर (आरा) न्यायमंडल अन्तर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, पीरो में 10 कोर्ट भवन (G+5), हाजत भवन (G+1) एवं एमिनिटी भवन (G+4) के निर्माण कार्य हेतु रु0-34,06,24,000/- (चौतीस करोड़ छः लाख चौबीस हजार रुपये) मात्र की प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव है।


22.07.20

(अंजनी कुमार सिंह)
सरकार के सचिव, बिहार।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
प्रेस नोट

38

पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में दोन शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 93.75 कि०मी० तक सेवापथ का पुनर्स्थापन (कालीकरण) कार्य का प्रावधान है।

दोन शाखा नहर तिरहुत मुख्य नहर के 2.04 कि०मी० (बायाँ) से निःसृत है। दोन शाखा नहर की कुल लंबाई 93.75 कि०मी० है तथा इसके अंतिम छोर से नेपाल पूर्वी नहर तथा घोड़ासहन शाखा नहर निकलती है। दोन शाखा नहर के 0.00 कि०मी० पर रूपांकित जलश्राव 2494 घनसेक है। दोन शाखा नहर द्वारा नेपाल पूर्वी नहर तथा घोड़ासहन शाखा नहर को जलश्राव उपलब्ध कराया जाता है।

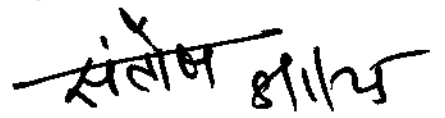
दोन शाखा नहर के दाँयें बाँध पर अवस्थित सेवा पथ का उपयोग नहर निरीक्षण हेतु किया जाता है तथा नहर के सुचारु रूप से संचालन के दृष्टिकोण से उक्त सेवा पथ का पुनर्स्थापन कार्य कराया जाना अति आवश्यक है।

इस प्राक्कलन में दोन शाखा नहर के 0.00 कि०मी० से 93.75 कि०मी० तक सेवापथ का पुनर्स्थापन (कालीकरण) कार्य का प्रावधान है। दोन शाखा नहर के उक्त सेवा पथ के कालीकरण होने से कृषि उत्पाद को खेत खलिहान से बाजार तक पहुँचाने के लिए अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध होगा।

उक्त सेवा पथ के पुनर्स्थापन कार्य से नहर तटबंध का सुदृढीकरण एवं मजबूतीकरण होगा तथा नहर के मरम्मति हेतु सामग्रियों को कार्य स्थल तक पहुँचाना आसान होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी आकस्मिक स्थिति में नहर की मरम्मति कम समय में होगी।

इस कार्य के कार्यान्वयन से पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-1, बगहा-2, रामनगर, नरकटियागंज, गौनाहा प्रखंड को सुलभ सम्पर्कता मिलेगी।

योजना की प्राक्कलित राशि रू० 7800.15 लाख (अठहत्तर करोड़ पन्द्रह हजार) मात्र है। इस योजना को वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।


(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव
जल संसाधन विभाग

प्रेस नोट

39

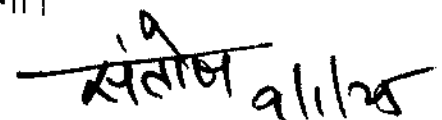
प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के आलोक में प्रस्तावित सारण तटबंध के कि०मी० 80.00 (बैकुण्ठपुर प्रखंड के आशा-खैरा ग्राम के समीप) से कि०मी० 152.00 (कुचायकोट प्रखंड के अमवा-विजयपुर ग्राम के समीप) के बीच तथा संलग्न छरकियों पर उच्चीकरण, सुदृढीकरण, सुरक्षात्मक कार्य तथा शीर्ष पर कालीकरण कार्य (प्राक्कलित राशि रु० 35151.00 लाख) के अंतर्गत सारण मुख्य तटबंध के कि०मी० 120.28 (बरौली प्रखंड के सरफरा ग्राम के समीप) से कि०मी० 152.00 के बीच एवं कि०मी० 80.00 से कि०मी० 152.00 के बीच संलग्न छरकियों का उच्चीकरण, सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण के साथ सुरक्षात्मक कार्य किये जाने का प्रावधान है। सारण मुख्य तटबंध के कि०मी० 80.00 (बैकुण्ठपुर प्रखंड के आशा-खैरा ग्राम के समीप) से कि०मी० 120.28 (बरौली प्रखंड के सरफरा ग्राम के समीप) के बीच पुनर्स्थापन कार्य के साथ तटबंध के शीर्ष पर बिटुमिनस सड़क निर्माण का कार्य प्रगति में है।

गंडक नदी के दायें किनारे पर अवस्थित सारण तटबंध गोपालगंज जिला को आवर्ती बाढ़ से सुरक्षा प्रदान करता है। सारण तटबंध का विषयांकित भाग एवं इससे जुड़े हुए विभिन्न छरकी अतिसंवेदनशील हैं।

प्रस्तावित उच्चीकरण, सुदृढीकरण एवं पक्कीकरण के फलस्वरूप तटबंध को सुदृढता मिलेगी, जिससे बाढ़ अवधि के दौरान अत्यधिक जलश्राव की स्थिति में कटाव/टूटान से सुरक्षा मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त प्रस्तावित भाग में अवस्थित अतिसंवेदनशील छरकियों पर बाढ़ अवधि के दौरान बेहतर पर्यवेक्षण संभव हो सकेगा। साथ ही बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की ढुलाई शीघ्र एवं सुगमता से हो सकेगी।

तटबंध पक्कीकरण से निकटवर्ती क्षेत्रों में वैकल्पिक आवागमन की सुविधा भी मिल सकेगी, जिससे क्षेत्र के समाजिक-आर्थिक विकास को बल मिलेगा। उक्त योजना के कार्यान्वयन से गोपालगंज जिला के गोपालगंज, बरौली, सिधवलिया, कुचायकोट, बैकुण्ठपुर, मांझा प्रखंडों को लाभ मिल सकेगा।

इस प्रकार यह योजना लाभप्रद एवं जनोपयोगी होगी।



(संतोष कुमार मल्ल)

प्रधान सचिव,

जल संसाधन विभाग, पटना, बिहार

(40)

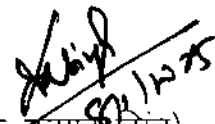
बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन मुजफ्फरपुर जिला के कार्य प्रमंडल-मुजफ्फरपुर पूर्वी-1 अंतर्गत पथ "टी03 - मंसुरपुर से बेरुआडीह (सबहा चौक से मरीचा पथ)", लम्बाई-14.380 कि०मी० के पुनर्निर्माण/उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 30.0238 करोड़ रुपये (तीस करोड़ दो लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य मुजफ्फरपुर जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढांचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।



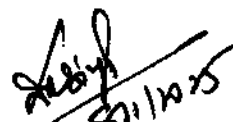
बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

प्रेस नोट

विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में "मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत एक नये अवयव के रूप में स्वीकृत "ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम" अंतर्गत राज्य में पंचवर्षीय अनुरक्षण/ डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि से बाहर एवं भविष्य में बाहर होने वाले सभी ग्रामीण पथों का पुनर्निर्माण /उन्नयन/ नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) किया जाना है।

प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के सामान्य मद के अधीन पूर्वी चम्पारण जिला के कार्य प्रमंडल-सिकहरना ढाका अंतर्गत पथ "चिरैया से पुरनहिया", लम्बाई- 16.570 कि०मी० के पुनर्निर्माण/ उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य (कुल 07 वर्ष की अवधि) की कुल राशि रू० 41.7406 करोड़ रुपये (एकतालिस करोड़ चौहत्तर लाख छः हजार रुपये) मात्र पर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने की स्वीकृति पर निर्णय लिया गया।

इस योजना का उद्देश्य पूर्वी चम्पारण जिला में आम जनता को यातायात के लिए अधिक गतिशीलता एवं सुगमता प्रदान करते हुए सामाजिक, आर्थिक, ग्राम नगरीकरण गतिविधियों के सृजन एवं चहुँमुखी विकास हेतु ग्रामीण ढांचागत व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सकेगा।


(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

प्रेस नोट

उद्योग विभाग अर्न्तगत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना द्वारा कुल 09 कलस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है, जिसमें कुल भूमि 7592.39 एकड़ थी। वर्तमान में लगभग 1407.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है। बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.07.2024 के बैठक में मद संख्या-42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त भूमि अधिग्रहित की जानी है, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

उक्त के क्रम में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु सीतामढ़ी जिला के दो अंचलों यथा-सोनबरसा एवं नानपुर की कुल रकबा 504.52 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 रु0-298,77,06,366.00 (रुपये दो सौ अठ्ठानवे करोड़ सतहत्तर लाख छः हजार तीन सौ छियासठ) मात्र के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से सीतामढ़ी जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढेंगे तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

8/11/2025

(बन्दना प्रेयषी)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

प्रेस नोट

43

उद्योग विभाग अन्तर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना द्वारा कुल 09 कलस्टर तथा 84 औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक विकास केन्द्र स्थापित है, जिसमें कुल भूमि 7592.39 एकड़ थी। वर्तमान में लगभग 1407.00 एकड़ भूमि आवंटन हेतु शेष है। बिहार राज्य में नये उद्योगों की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार किया जाय। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.07.2024 के बैठक में मद संख्या-42 के रूप में स्वीकृति भी प्राप्त है। इस प्रयोजन हेतु उपर्युक्त भूमि अधिग्रहित की जानी है, जहाँ सुलभ संपर्क उपलब्ध हो।

उक्त के क्रम में बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु वैशाली जिला के तीन अंचलों यथा- जन्दाहा, राजापाकर एवं महुआ में कुल रकबा 1243.45 एकड़ रैयती भूमि का आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के माध्यम से अधिग्रहण एवं अधिग्रहण की प्राक्कलित राशि रु0 1001,92,15,154.00 (रुपये एक हजार एक करोड़ बानवे लाख पन्द्रह हजार एक सौ चौवन) मात्र के व्यय के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार से वैशाली जिला में विभिन्न प्रक्षेत्रों में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होंगी।

8/11/2025

(बन्दना प्रेयषी)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस-नोट

44

प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के क्रम में चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं विशेष परिस्थिति में वहाँ स्थित टेक्सटाईल/वस्त्र प्रक्षेत्र इकाईयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु निम्न प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

(i) चनपटिया औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु बाजार समिति परिसर चनपटिया, की 29.30 एकड़ भूमि को कृषि विभाग, बिहार से उद्योग विभाग, बिहार को हस्तांतरण।

(ii) चनपटिया स्टार्ट-अप जोन परिसर के टेक्सटाईल/वस्त्र उद्योग से जुड़ी इकाईयों को विशेष परिस्थिति मानते हुए वस्त्र एवं चर्म नीति, 2022 के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित करने हेतु इस नीति के तहत अच्छादित किये जाने एवं तदनुसार प्रोत्साहन का लाभ दिये जाने का प्रावधान।



(बन्दना प्रेयषी)

सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

45

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखण्ड अंतर्गत मेजरगंज में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 डबल सर्किट मेजरगंज-शिवहर संचरण लाईन एवं सीतामढ़ी-ढाका सिंगल सर्किट संचरण लाईन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र मेजरगंज में एल0आई0एल0ओ0 एवं ग्रिड उपकेन्द्र शिवहर में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ (एक सौ बासठ करोड़ तिहत्तर लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 32.55 करोड़ (बत्तीस करोड़ पचपन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 130.18 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ अठारह लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु सीतामढ़ी जिला के मेजरगंज प्रखण्ड अंतर्गत मेजरगंज में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 डबल सर्किट मेजरगंज-शिवहर संचरण लाईन एवं सीतामढ़ी-ढाका सिंगल सर्किट संचरण लाईन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र मेजरगंज में एल0आई0एल0ओ0 एवं ग्रिड उपकेन्द्र शिवहर में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 162.73 करोड़ (एक सौ बासठ करोड़ तिहत्तर लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 32.55 करोड़ (बत्तीस करोड़ पचपन लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 130.18 करोड़ (एक सौ तीस करोड़ अठारह लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।


(पंकज कुमार धील)
सरकार के सचिव।

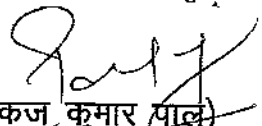
बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

46

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु पश्चिमी चम्पारण जिला के बेतिया अनुमण्डल के मझौलिया प्रखण्ड अंतर्गत अमवामन (सेनुवरिया) में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 डबल सर्किट रक्सौल-अमवामन संचरण लाईन एवं मोतिहारी-बेतिया सिंगल सर्किट संचरण लाईन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र अमवामन में एल0आई0एल0ओ0 एवं ग्रिड उपकेन्द्र रक्सौल में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 148.49 करोड़ (एक सौ अड़तालीस करोड़ उनचास लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 29.70 करोड़ (उनतीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 118.79 करोड़ (एक सौ अठारह करोड़ उनासी लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु पश्चिमी चम्पारण जिला के बेतिया अनुमण्डल के मझौलिया प्रखण्ड अंतर्गत अमवामन (सेनुवरिया) में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 डबल सर्किट रक्सौल-अमवामन संचरण लाईन एवं मोतिहारी-बेतिया सिंगल सर्किट संचरण लाईन का प्रस्तावित ग्रिड उपकेन्द्र अमवामन में एल0आई0एल0ओ0 एवं ग्रिड उपकेन्द्र रक्सौल में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 148.49 करोड़ (एक सौ अड़तालीस करोड़ उनचास लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात् 29.70 करोड़ (उनतीस करोड़ सत्तर लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 118.79 करोड़ (एक सौ अठारह करोड़ उनासी लाख) रुपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।


(पंकज कुमार पाण्डे)
सरकार के सचिव।

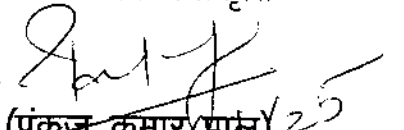
बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

(47)

प्रेस नोट

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु वैशाली जिले के महुआ अनुमण्डल में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 ताजपुर-महुआ संचरण लाईन एवं हाजीपुर (नया)-समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ में एल0आई0एल0ओ0 (LIL0) एवं ताजपुर में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 157.01 करोड़ (एक सौ संतावन करोड़ एक लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 31.40 करोड़ (एकतीस करोड़ चालीस लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 125.61 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ इकसठ लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान किया जाना आवश्यक है।

उक्त आलोक में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा "प्रगति यात्रा" के क्रम में किये गये घोषणा के आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढीकरण हेतु वैशाली जिले के महुआ अनुमण्डल में एक नये 2X80 एम0भी0ए0 क्षमता वाली ग्रिड सब-स्टेशन का निर्माण एवं 132 के0भी0 ताजपुर-महुआ संचरण लाईन एवं हाजीपुर (नया)-समस्तीपुर के एक सर्किट का महुआ में एल0आई0एल0ओ0 (LIL0) एवं ताजपुर में 132 के0भी0 के दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 157.01 करोड़ (एक सौ संतावन करोड़ एक लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं उक्त स्वीकृत राशि का 20% अर्थात् 31.40 करोड़ (एकतीस करोड़ चालीस लाख) रुपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात् 125.61 करोड़ (एक सौ पच्चीस करोड़ इकसठ लाख) रुपये राज्य सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।


(पंकज कुमार) 25
सरकार के सचिव।

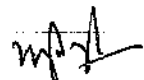
48

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखंड अंतर्गत बुढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर 12 x 24.00 मी. आकार का उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य हेतु कुल ₹7050.92 लाख (रुपये सत्तर करोड़ पचास लाख बानवे हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मेहसी प्रखंड अंतर्गत बुढ़ी गंडक नदी के इब्राहिमपुर घाट पर 12 x 24.00 मी. आकार का उच्च स्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य करने का प्रस्ताव है। पुल की कुल लंबाई 295.32 मी० एवं पहुंच पथ की लंबाई 2684 मी० है। पुल की कुल चौड़ाई 12 मी० है। इस परियोजना में भु-अर्जन हेतु ₹1200.00 लाख का प्रावधान है। विषयांकित योजना पूर्वी चम्पारण से मेहसी प्रखंड के उशीलपुर एवं मधुबन प्रखंड के गरहीयों पंचायत के लगभग 25 गांवों का अतिरिक्त यातायात में सुगमता होगी। जिसके कारण शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में विकास होगा एवं जाने में दूरी एवं समय की बचत होगी। परियोजना का निर्माण कार्य बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा कराया जाएगा।

योजना के निर्माण जनहित में होने से निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

५१

प्रेस नोट

नाबार्ड ऋण परियोजना (आर० आई० डी० एफ०-XIX) के तहत मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर डा० जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के पास सोडा गोदाम चौक एवं अहियापुर के बीच पहुँच पथ निर्माण कार्य सहित 2-लेन के 12x25.00 मी० आकार के उच्चस्तरीय आर०सी०सी० पुल निर्माण कार्य कुल ₹ 9872.44 लाख (अन्तान्वे करोड़ बहत्तर लाख चौवालीस हजार रुपये) की द्वितीय पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गयी है।

विषयाधीन योजना की मूल प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक-7889 (S), दिनांक-03.10.2013 द्वारा "पुल (नाबार्ड)-राज्य योजना मतदेय" अन्तर्गत कुल - ₹ 4329.61 लाख के लिए प्रदान की गई थी, जिसमें नाबार्ड ऋणांश राशि कुल- (80% ₹ 3463.69 लाख) तथा राज्यांश राशि कुल (20% ₹ 865.922 लाख) थी एवं प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय ज्ञापांक-8801 (S), दिनांक-10.10.2017 द्वारा "पुल (नाबार्ड)-राज्य योजना मतदेय" अन्तर्गत कुल - ₹ 7250.00 लाख के लिए प्रदान की गई थी, जिसमें नाबार्ड ऋणांश राशि कुल ₹ 3463.69 लाख (47.78 %) तथा राज्यांश राशि कुल ₹ 3786.31 लाख (52.22 %) थी।

सम्प्रति विषयाधीन योजना हेतु कुल - ₹ 9872.44 लाख के लिए द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना द्वारा दी गई है एवं तद् आलोक में योजना की द्वितीय पुनरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

योजना की द्वितीय पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति की राशि ₹ 9872.44 लाख प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹ 7250.00

Mam

4

लाख से कुल ₹ 2623.21 लाख अर्थात् 36.18 % की वृद्धि हो रही है एवं मूल प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹ 4329.61 लाख से 5542.83 लाख अर्थात् 128.02 % अधिक है। वृद्धि की राशि का वहन राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करना होगा। योजना के द्वितीय पुनरीक्षण के पश्चात् तालाबार्ड ऋणांश राशि कुल- ₹ 3463.69 लाख (35.08%) तथा राज्यांश राशि कुल- ₹ 6408.75 लाख (64.92 %) होगी।

Foundation मद् में ₹ 2.74556 लाख, Sub Structure मद् में ₹ 7.1781 लाख, Protection Work मद् में ₹ 0.01779 लाख की वृद्धि है। इस प्रकार उपर्युक्त तीनों मद् में कुल ₹ 9.94145 लाख की मामूली वृद्धि हुई है।

मूलतः वृद्धि का मुख्य कारण Approach Road मद् में कार्य कराने हेतु ₹ 159.5794 लाख, भू-अर्जन की मुआवजा राशि में ₹ 2444.44477 लाख एवं GST Impact मद् में ₹ 189.59532 लाख का वृद्धि होना है। द्वितीय पुनरीक्षित प्राक्कलन में 16.058 एकड़ भूमि का मूल्यांकन कर ₹ 5886.84477 लाख समाहित की गई है।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

Maw
५

प्रेस नोट

50

प्रगति यात्रा के क्रम में छपरा जिलान्तर्गत एन0एच0-19 छपरा के लेफ्ट आउट पोर्शन (लम्बाई 13.400 कि0मी0) के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल ₹8995.35 लाख (रुपये नवासी करोड़ पंचानबे लाख पैंतीस हजार मात्र) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

यह पथ बहमपुर (एन0एच0-531 के जंक्शन) से प्रारंभ होकर विशुनपुरा (एन0एच0-19, 4 लेन) को जोड़ती है। पथ के 13.400 कि0मी0 लम्बाई में मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य किया जाना है इसके तहत पथ के कैरेज वे को 7.00मी० से बढ़ाकर 7.00मी० से लेकर 10.00 मी० तक करने का प्रावधान है।

इस पथांश के 600मी० लंबाई में आवश्यकतानुसार 4 लेन का प्रावधान किया गया है। जल-जमाव वाले क्षेत्र से जल निकासी हेतु आर०सी०सी० ड्रेन का प्रावधान है।

यह पथ छपरा से पटना, गोपालगंज, बलिया आने जाने में सुविधा प्रदान करती है। विषयांकित योजना के पुरा होने से आम जनता को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन सम्पन्न होगी।


(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

51

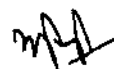
प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल छपरा अंतर्गत खैरा-बिनटोलिया (कि०मी० 0.00 से 7.34 कि०मी०) पथ में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 4053.16 लाख (चालीस करोड़ तिरपन लाख सोलह हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

यह पथ खैरा (एस०एच०-90) से शुरू होकर छपरा बाईपास को क्रॉस करते हुए छपरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी द्वार होते हुए एन०एच०-19 पथ में जगदम कॉलेज के पास समाप्त होती है। इस पथ की लम्बाई 7.34 कि०मी० के वर्तमान चौड़ाई 3.75मी० से बढ़ाकर 7.00 मी० / 10.00मी० किया जाना अत्यावश्यक है।

विषयांकित पथ के दोनों तरफ बसावट होने के कारण 2 कि.मी. लंबाई में दोनों तरफ RCC नाला निर्माण का प्रावधान किया गया है। पथ के 5वें कि.मी. में छपरा बाईपास क्रॉस करती है, जिससे संपर्कता हेतु पहुँच पथ का प्रावधान किया गया है।

इस पथ में अवस्थित तालाब के सुरक्षात्मक कार्य के तौर पर बोल्टर पीचिंग के प्रावधान के साथ साथ पथ में क्रॉस ड्रेन के निमित्त कुल 5 ह्युम पाईप कल्भर्ट एवं 2 बॉक्स कल्भर्ट का भी प्रावधान किया गया है।

इस पथ के चौड़ीकरण हो जाने से छपरा रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ से छपरा बाईपास होते हुए पटना, सिवान, गोपालगंज, बलिया आदि जगहों पर जाने में सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

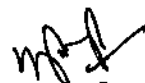
प्रेस नोट

(52)

प्रगति यात्रा के क्रम में मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ अन्तर्गत कांटी-रघई घाट कि०मी० 0.00 से 9.70 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 7418.13 लाख (चौहत्तर करोड़ अठारह लाख तेरह हजार) मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथांश की कुल लम्बाई 9.70 कि०मी० है, जो शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ का भाग है। वर्तमान कैरेज वे 7.00 मी० से बढ़ाकर 11.00मी० करने का प्रावधान है। यह पथांश कांटी एन०एच०-28 ओभर ब्रिज के नीचे से निकलकर रघई घाट तक जाती है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर जिला से शिवहर एवं सीतामढ़ी आने-जाने में आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल संख्या-2 मुजफ्फरपुर अन्तर्गत शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ के कि०मी० 20.43 से 29.80 कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि 5256.42 लाख (बावन करोड़ छप्पन लाख बेयालीस हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथांश की कुल लम्बाई 9.37 कि०मी० है, जो शिवहर-मीनापुर-कांटी पथ का भाग है। वर्तमान कैरेज वे 7.00 मी०-10.00 मी० से बढ़ाकर 2 x 5.5 मी० करने का प्रावधान है। यह पथांश नरवारा से हनुमान चौक तक जाती है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर जिला से शिवहर एवं सीतामढ़ी आने-जाने में आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।



(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रेस नोट

प्रगति यात्रा के क्रम में दिए गए निदेश के आलोक में पश्चिम चम्पारण जिलान्तर्गत पथरी घाट से बरवत सेना पथ (कुल लम्बाई 6.750 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल 7316.37 लाख (तिहत्तर करोड़ अश्वेष्ट लाख सैंतीस हजार) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथ पथरी घाट से बरवत सेना एस०एच०-54 तक है, जिसकी कुल लम्बाई 6.75 कि०मी० है जिसमें से 1.700 कि०मी० पथांश का स्वामित्व नगर विकास एवं आवास विभाग (पथ परत की चौड़ाई 3मी० से 6मी०) तथा शेष पथ निर्माण विभाग (पथ परत की चौड़ाई 7मी०) के स्वामित्व में है। इस पथ के वर्तमान कैरेज वे को बढ़ाकर 2 x 5.5 मी० करने का प्रस्ताव है। इस योजना में 10622 मी० लम्बाई में आर०सी०सी० ड्रेन का प्रावधान है।

विषयांकित पथ के चौड़ीकरण होने से यहाँ की जनता को जाम से मुक्ति मिलेगी तथा बेतिया मेडिकल कॉलेज पहुँचने में सुविधा होगी।


(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

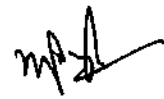
प्रेस नोट

५५

प्रगति यात्रा के क्रम में पथ प्रमंडल शिवहर अन्तर्गत शिवहर-मीनापुर -कांटी पथ के कि०मी० ०.०० से २०.४३ कि०मी० के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु कुल राशि १७२७६.६६ लाख (एक सौ बहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख छियासठ हजार) मात्र रुपये के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु स्वीकृति दी गई है।

विषयांकित पथांश की कुल लम्बाई २०.४३ कि०मी० है, जो शिवहर-मीनापुर -कांटी पथ का भाग है। वर्तमान कैरेज वे ७.०० मी० से बढ़ाकर २ x ७.०० मी० करने का प्रावधान है। यह पथांश शिवहर से नरवारा तक जाती है।

विषयांकित योजनाओं के पूरा हो जाने के फलस्वरूप मुजफ्फरपुर जिला से शिवहर एवं सीतामढ़ी आने-जाने में आमजनों को सुगम एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध होगा।



(मिहिर कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

५५

✓

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

56

प्रेस नोट

वित्त विभागीय संकल्प सं०-5027, दिनांक-17.05.2013 द्वारा बिहार पुलिस मेन्स एसोसिएशन की मांगों पर विचार करने हेतु गठित उच्च स्तरीय असंगति निराकरण समिति की अनुशंसा के आलोक में सामान्य आरक्षी संवर्ग के अलावे वितंतु आरक्षी एवं अग्निशमन सेवा के संगत कोटि के आरक्षी/कर्मियों के वेतन एवं भत्ते की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उक्त के आलोक में गृह विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9615, दिनांक-12.11.2018 द्वारा बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) को उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹ 2000, पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹ 2400 तथा पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹ 2800 में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, परन्तु उक्त निर्गत संकल्प में बिहार अग्निशमन सेवा के संगत कोटि के आरक्षी/कर्मियों को शामिल नहीं किया जा सका था।

इस संदर्भ में वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श एवं प्रदत्त सहमति के आलोक में बिहार पुलिस कर्मियों (सिपाही, हवलदार तथा सहायक अवर निरीक्षक) की भाँति बिहार अग्निशमन सेवा के संगत कोटि के कर्मियों को भी वित्त विभागीय संकल्प सं०-5027, दिनांक-17.05.2013 के आलोक में उत्क्रमित वेतनमान क्रमशः पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹ 2000, पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹ 2400 तथा पी०बी०-1+ग्रेड पे ₹ 2800 में दिनांक-01.01.2006 से वैचारिक तथा दिनांक-21.01.2010 से वास्तविक लाभ स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।

(प्रणव कुमार)
सचिव